IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ–226001

भारतीय मानक ब्यूरो

IS

मानक: पथप्रदर्शक:

Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्र संख्या: /स0प्र0–3/97–2000(भाग–2)/1771 दिनांक: /11/2016

कार्यालय आदेश

परिषद की लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, आगरा एवं मुरादाबाद की योजनाओं में बहुमंजिले फ्लैट निर्मित/विकसित किये जा रहे हैं जिनके पंजीकरण के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या–1430/स0प्र0–3/97–2000(भाग–2) दिनांक 04.11.2016 जारी किया जा चुका है जिसके अनुपालन में निम्नवत् प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

1. ऐसी परियोजनायें जिसमें पंजीकरण खोलने के उपरान्त पंजीकृत आवेदक के मध्य नम्बरिंग ड्रा हो गया हो इन परियोजनाओं के अवशेष रिक्त फ्लैट की सूची सम्पत्ति कार्यालय द्वारा सम्बन्धित निर्माण खण्ड को उपलब्ध करा दी जायेगी।

2. पंजीकरण हेतु आवेदक द्वारा इच्छित फ्लैट हेतु **"प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त"** के आधार पर पंजीकरण किया जायेगा। इसके लिये आवेदक से पंजीकरण पुस्तिका के साथ आवेदन पत्र तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम निर्धारित धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त करते हुये आवेदक को आवंटित फ्लैट संख्या का नम्बर देते हुये प्राप्ति रसीद दी जायगी। **(परिशिष्ट–1)**

3. सम्बन्धित खण्ड द्वारा उक्त आवेदन पत्र तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य प्रपत्र मूल रूप में **(परिशिष्ट–2)** सम्बन्धित सम्पत्ति कार्यालय को मॉग पत्र जारी करने हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा तथा इसकी प्रति सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता एवं सम्बन्धित जोनल आयुक्त को भी दी जायेगी। उक्त के पश्चात् सम्पत्ति कार्यालय द्वारा अपने स्तर से भी भवन नम्बर का मिलान करते हुये आवेदक के पक्ष में एक सप्ताह के अन्दर मॉग–पत्र अवश्य जारी कर दिया जायेगा। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता उचित नहीं होगी।

4. परिषद की जिन परियोजनाओं के रिक्त भवनों का आन लाइन पंजीकरण चल रहा है उसकी पुष्टि सम्बन्धित निर्माण खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवशेष रिक्त फ्लैट की स्थिति आन लाइन चेक करने के उपरान्त इच्छुक आवेदक के पक्ष में पंजीकरण/आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

5. ऐसी परियोजनायें जिनका पंजीकरण खोला जा चुका है, परन्तु अभी तक पंजीकृत आवेदकों के मध्य नम्बरिंग ड्रा नहीं हुआ है ऐसी परियोजना के फ्लैट के पंजीकरण हेतु सम्बन्धित खण्ड द्वारा अपने कार्यालय/सम्बन्धित कार्यस्थल पर कैम्प लगाकर पंजीकरण पुस्तिका इच्छुक आवंटियों को निर्धारित मूल्य लेकर उपलब्ध करायी जायेगी तथा यदि वह वांछित धनराशि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित निर्धारित प्रारूप पर वांछित अभिलेखों सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उसे सम्बन्धित खण्ड कार्यालय द्वारा निर्धारित बैंक में जमा कराने की सुविधा भी प्रदान की जाय जिससे आवेदकों को बैंक आदि जाने की असुविधा न हो।